UPRB010014342012

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) / चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार पाण्डे), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06246

सत्र परीक्षण संख्या–57/2012

सरकार .... **.....अभियोजक**

बनाम

रामस्वरूप उम्र 60 वर्ष पुत्र प्यारे उर्फ बिंदादीन निवासी बोधीखेड़ा, मजरे तौली, थाना–शिवगढ़, रायबरेली।

......अभियुक्त

मुकदमा अपराध सं०– 904/2009
धारा– 60, 272 भा०दं०सं०
थाना– शिवगढ़ ,
जिला– रायबरेली

सत्र परीक्षण संख्या–225/2012

सरकार .... **.....अभियोजक**

बनाम

राजू उम्र 35 वर्ष पुत्र प्यारे उर्फ बिंदादीन निवासी बोधीखेड़ा, मजरे तौली, थाना– शिवगढ़, रायबरेली।

......अभियुक्त

मुकदमा अपराध सं०– 905/2009
धारा– 60, 272 भा०दं०सं०
थाना– शिवगढ़ ,
जिला– रायबरेली

पैरवीकर्तागण

क्र० सं०	विवरण	नाम
1	अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता	श्री ओ.पी. वर्मा (ए.डी.जी.सी.)
2	अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता	श्री महेंद्र प्रताप सिंह

घटनाक्रम एवं दिनांक

1	घटना की तिथि	25.12.2009
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	25.12.2009
3	आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	01.02.2011
4	मु०अ०सं०-904/09 में सत्र सुपुर्द होने की तिथि	21.01.2012
5	मु०अ०सं०-905/09 में सत्र सुपुर्द होने की तिथि	06.04.2012
6	मु०अ०सं०-904/09 में आरोप विरचन की तिथि	17.12.2013
7	मु०अ०सं०-905/09 में आरोप विरचन की तिथि	17.09.2013
8	साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	16.11.2018
9	साक्ष्य समाप्त होने की तिथि	13.10.2025
10	बयान अंतर्गत धारा-313 दं०प्र०सं०	11.03.2026
11	अंतिम बहस की तिथि	17.03.2026
12	निर्णय की तिथि	31.03.2026

निर्णय

1- थाना-शिवगढ़, रायबरेली की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-904/2009 अंतर्गत धारा-60(1)(11) आबकारी अधिनियम एवं धारा-272 भा०दं०सं० के प्रकरण में अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरली द्वारा दिनांक 01.02.2011 को अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला सत्र परीक्षणीय होना पाते हुए अपने आदेश दिनांकित 21.01.2012 के माध्यम से पत्रावली सत्र सुपुर्द किया गया।

3- सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण सत्र वाद सं०- 57/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया।

4- दिनांक 17.12.2013 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-3 रायबरेली द्वारा अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा-60 (1) आबकारी अधिनियम एवं धारा-272 भा०दं०सं० तय किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपो से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

5- थाना-शिवगढ़, रायबरेली की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-905/2009 अंतर्गत धारा-60(1)(11) आबकारी अधिनियम एवं धारा-272 भा०दं०सं० के प्रकरण में अभियुक्त राजू के विरूद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

6- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरली द्वारा दिनांक 01.02.2011 को अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला सत्र परीक्षणीय होना पाते हुए अपने आदेश दिनांकित 06.04.2012 के माध्यम से पत्रावली सत्र सुपुर्द किया गया।

7- सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण सत्र वाद सं०- 225/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया।

8- दिनांक 17.09.2013 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-3 रायबरेली द्वारा अभियुक्त राजू के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा-60 (1) आबकारी अधिनियम एवं धारा-272 भा०दं०सं० तय किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपो से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

9- उपरोक्त दोनो सत्र वाद एक ही घटना से और एक ही फर्द से सम्बन्धित होने के कारण दोनो का विचारण साक्ष्य सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया गया।

10- अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में **निम्न साक्षियों** को परीक्षित कराया गया है-

साक्षी का नाम	**साक्षी संख्या**	**साक्ष्य का प्रकार**
उपनिरीक्षक शशि कुमार वर्मा	अभियोजन साक्षी सं०- 1	विवेचक
उ०नि० अरविंद कुमार सरोज	अभियोजन साक्षी सं०- 2	वादी मुकदमा/ फर्द के गवाह

11- प्रलेखीय साक्ष्य में **निम्नलिखित दस्तावेज** प्रस्तुत किये गये हैं-

प्रलेख	**प्रदर्श संख्या**	**साबित द्वारा**
नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क -1	अभियोजन साक्षी सं०-1
आरोप पत्र	प्रदर्श क -2	अभियोजन साक्षी सं०-1
चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क -3	अभियोजन साक्षी सं०-1

अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप का बयान **अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं०** दर्ज किया गया।

12– अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को असत्य बताया गया। अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी गवाही देना बताया गया। फर्जी फर्द तैयार करना बताया गया और कथन किया गया वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

13– बचाव में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

14– मैने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना तथा संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

15– संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.2009 को **अभियोजन साक्षी सं०–2 उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सरोज** मय हमराही का० शिवभूषण तिवारी, का० प्रेम कुमार वर्मा, का० नरेंद्र कुमार द्विवेदी एवं का० आजाद प्रताप सिंह के बिनावर लंबित मुकदमों एवं देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर गंज बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि तीन व्यक्ति लोधी खेड़ा से नहर की पटरी से गंज बाजार की ओर अपमिश्रित शराब बेचने हेतु लेकर आ रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सरोज मय मुखबिर व हमराहीगण बताये हुए स्थान की ओर चल दिये। रास्ते में जनता के गवाहों को शामिल करने का प्रयास किया गया परंतु भलाई–बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सरोज व हमराही पुलिसकर्मीगण जैसे ही कच्ची पुलिया बोधी खेड़ा नगर के किनारे पहुंचे, तीन व्यक्ति नहर की दाहिनी पटरी से हाथों में पिपिया लेकर आते हुए दिखाई दिये, जिन्हें रोका–टोका गया तो पीछे मुड़कर नहर लांघकर भागने लगे, जिन्हें दौड़ाया गया तो दो व्यक्ति मौके पर पिपिया छोड़कर भागने में सफल रहे जबकि एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम–पता पूछा गया तो उसने अपना नाम किशोर बताया। भागे हुए व्यक्तियों के बारे में पूछने पर उसने उनके नाम रामस्वरूप व राजू बताया। पिपिया के विषय में पूछने पर बताया कि इसमें कच्ची शराब है जिसमें नशा तेज करने के लिए वे लोग यूरिया एवं अन्य कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। पिपिया के ढक्कन को खोलकर उपनिरीक्षक ने सूंघा और हमराहीगण को सुंघाया तो उसमें से तेज कच्ची यूरिया मिश्रित शराब की गंध आ रही थी। बरामद पिपिया से एक–एक बोतल में करीब एक–एक लीटर शराब बतौर नमूना अलग कर पिपिया व बोतल के ढक्कन को बंद कर मुंह कपड़े से बांधकर सर्वमोहर कर नमूनामोहर तैयार किया गया और बरामद माल को कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्त किशोर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए उसे समय 15.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके

पर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त किशोर के परिजनों को दी गयी। मौके पर फर्द **अभियोजन साक्षी सं०–2 उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सरोज** द्वारा लिखकर, पढ़कर , सुनाकर हमराहियान के हस्ताक्षर बनवाये गये।

16– उक्त फर्द रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 25.12.2009 को समय 18.10 बजे गिरफ्तारशुदा अभियुक्त किशोर के विरूद्ध मु०अ०सं०–903/2009 अंतर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० अभियुक्त राजू के विरूद्ध मु०अ०सं०–905/2009 एवं अभियुक्त राम स्वरूप के विरूद्ध मु०अ०सं०–904/2009 अंतर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया।

17– प्रकरण की विवेचना **अभियोजन साक्षी सं०–1 शशि कुमार वर्मा** द्वारा ग्रहण किया गया जिन्होंने दौरान विवेचना गवाहो के बयानात लिये। मौके का नक्शा नजरी **प्रदर्श क–1** के रूप में तैयार किया और दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजू एवं अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० साबित होना पाते हुए आरोप पत्र अंतर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० **प्रदर्श क–2** के रूप में न्यायालय समक्ष प्रेषित किया गया।

18– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी सं०–1** के रूप में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शशि कुमार को परीक्षित कराया गया है जिन्होने सशपथ बयान देते हुए कथन किया है कि दिनांक 25.12.2009 को वह थाना शिवगढ़ में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उस दिन उन्हें अपराध सं०–905/2009, धारा–60(1) आबकारी अधिनियम व धारा–272 भा०दं०सं० की विवेचना मिली। उन्होने थाना कार्यालय से फर्द, चिक एफ.आई.आर. व कायमी जी.डी. प्राप्त किया और उसका उल्लेख केस डायरी में करते हुए एफ.आई.आर. लेखक करूणेश सिंह व वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सरोज का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 27.12.2009 को घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी बनाया जो कागज सं०–4क/2 है। नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न है जो उनके लेख व हस्ताक्षर मे है, जिसे **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया गया। तत्पश्चात् गवाहन फर्द के गवाह का० शिवभूषण तिवारी, का० प्रेम कुमार वर्मा, का० नरेंद्र कुमार द्विवेदी, का० आजाद प्रताप सिंह का बयान केस डायरी में अंकित किया। नियमानुसार विवेचना करने व पर्याप्त सबूत पाये जाने पर दिनांक 25.01.2010 को आरोप पत्र सं०–08/2010 अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया गया है। आगे साक्षी ने कथन किया है कि यूरिया मिश्रित माल जो अभियुक्त से बरामद हुआ था, परीक्षण हेतु बरामद माल का नमूना उन्होने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था जिसकी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है जिसमें यूरिया की उपस्थिति पायी गयी।

आगे साक्षी ने कथन किया है कि उनके साथ थाना शिवगढ़ में हे० मोहर्रिर करूणेश सिंह तैनात थे, उन्होंने उनको लिखते–पढ़ते देखा है, उनके लेख व

हस्ताक्षर से वे भली–भांति परिचित हैं। साक्षी द्वारा पत्रावली पर संलग्न चिक एफ.आई.आर. को का० करूणेश सिंह के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए उसे **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया गया है।

19– **बचाव पक्ष** द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन ही उसे विवेचना मिली थी। विवेचना ग्रहण करने का उल्लेख जी.डी. में नहीं हुआ था। वादी अरविंद कुमार सरोज उसके साथ थाने पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। जिस मोटरसाइकिल से पुलिस पार्टी घटना स्थल पर गयी थी, उसके नम्बर का इंद्राज उसने केस डायरी में नही किया। वह गाड़ी सरकारी थी या प्राइवेट, उसे याद नहीं है। घटनास्थल पर दो दिन बाद किसके साथ तथा किस साधन से गया था, उसका अंकन केस डायरी में नही किया था। घटना स्थल पर अकेले गया था। यह सही है कि घटना स्थल पर पुलिस दल के आने–जाने को नहीं दिखाया है। तीनो मुल्जिम से पांच–पांच लीटर शराब बरामद हुई थी, यह बात वादी ने उसे बतायी थी। मुल्जिम रामस्वरूप की गिरफ्तारी बाद में हुई थी। मौके पर किशोर पकड़ा गया था। अभियुक्त किशोर को किस पुलिस दल ने पकड़ा था, वह नही बता सकता है। घटनास्थल पर दस बजे पहुंचा था। नक्शा नजरी में जो स्कूल दिखाया है, वह उस दिन बंद था या खुला था, वह नही बता सकता है क्योंकि स्कूल काफी दूर था। घटनास्थल से स्कूल लगभग एक किमी० दूर था। इस दूरी का अंकन उसने नक्शा नजरी में नहीं किया था। जब वह घटनास्थल पर गया था तो उस समय वहां पर जनता का कोई गवाह नहीं मिला था। यह सही है कि इस मामले में थाने पर तैनात पुलिस वालों के अलावा किसी और का बयान नहीं लिया था। नक्शा नजरी में अंकित नहर की चौड़ाई लगभग एक मीटर है। का० करूणेश सिंह जीवित है और वह बलिया जिले में तैनात है। घटनास्थल उसके थाने से पश्चिमी ओर स्थित है। घटनास्थल से स्कूल दिखाई पड़ रहा था। सहअभियुक्त किशोर व अन्य साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर मुल्जिम राम स्वरूप, राजू को अभियुक्त बनाया। सहअभियुक्त किशोर का बयान लिया था। यह कहना गलत है कि चूंकि साक्षीगण व वादी उसके थाने पर तैनात थे, उनके प्रभाव के कारण बिना घटनास्थल पर गये थाने पर ही लिखा–पढ़ी करके फर्जी आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। यह भी कहना गलत है कि बरामदशुदा द्रव व यूरिया मिश्रित द्रव वादी के प्रभाव में फर्जी बरामदगी दिखाकर फर्जी आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।

20– **अभियोजन साक्षी सं०–2** के रूप मे **उ०नि० अरविंद कुमार सरोज** को परीक्षित कराया गया है जिन्होने सशपथ बयान देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2009 में वह बतौर उपनिरीक्षक थाना शिवगढ़ में तैनात था। दिनांक 25.12.2009 को वह हमराही का० शशि भूषण तिवारी, का० प्रेम कुमार वर्मा, का० नरेंद्र कुमार त्रिवेदी, का० आजाद प्रताप के साथ क्षेत्र में विवेचना व देखभाल में मामूर होकर गंज बाजार पहुंचा, वहां मुखबिर की सूचना पर तीन व्यक्ति पांच–पांच लीटर की डिबिया में मिश्रित शराब बेचने के लिए जा रहे है। समय 15.15 बजे बोधी खेड़ा नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति राम किशोर को वह शराब की पिपिया के साथ पकड़ा गया था जब कि रामस्वरूप व राजू अपनी–अपनी पिपिया जिसमें मिश्रित शराब थी मौके पर छोड़कर भाग गये थे। पिपिया को मौके पर खोलकर रंगरूप गंध के आधार पर सत्यापित किया गया था उसमें यूरिया

मिश्रित शराब है। तीनों पिपिया का नमूना एक–एक लीटर अलग–अलग बोतल में निकालकर मौके पर पिपिया व बोतल को सील मोहर किया गया था। दौरान कार्यवाही जनता के गवाह बुलाने का प्रयास किया गया था। भलाई–बुराई के कारण कोई तैयार नही हुआ था। कार्यवाही के दौरान मौके पर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया था। फर्द उसके द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में लिखी गयी थी। कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों–निर्देशों का पालन किया गया था। फर्द पर व गिरफ्तारी मेमो पर उसके व हमराही व अभियुक्त के हस्ताक्षर मौके पर बनवाये गये थे। माल मुल्जिम थाने पर लाकर माल मुकदमा माल खाने में व अभियुक्त को हवालात मे दाखिल किया गया था व अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पत्रावली में कागज सं०–3 क/2 बरामदगी फर्द दाखिल है जिसमें पूर्व से **प्रदर्श क–1** पड़ा है जिसमें दिनांक 05.01.2013 अंकित है जो दाखिल मूल फर्द है। थाना हाजा शिवगढ़ द्वारा माल बरामदगी के सम्बन्ध में जी.डी. सं०–22 दिनांकित 13.10.2025 समय 8.40 बजे की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें हे० मोहर्रिर उपनिरीक्षक राकेश शर्मा द्वारा मु०अ०सं० 903/2009 धारा–60(1) आबकारी अधिनियम व धारा–272 भा०दं०सं० सम्बन्धित माल वास्ते पेश करने माननीय न्यायालय के समक्ष मालखाना खोलकर तलाशा गया जिसमें मु०अ०सं०–905/2009 धारा उपरोक्त माल काफी पुराना होने के कारण मालखाना में पिपिया खोलकर बह गया। सम्बन्धित पिपिया को पेश करने हेतु जैसे उठाया गया, तली टूटकर बह गया। तसखरा बाबत माल नष्ट होना अंकित किया जाता है। ताला माल गृह की ढीक से बंद कर संतरी को दिखाया गया। चाभी पूर्वत दी गयी। जीडी पत्रावली में अनुमति से दाखिल की जाती है।

21– **अभियुक्तगण राजू** व **रामस्वरूप** के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया है कि फर्द पर अभियुक्त राजू व रामस्वरूप के हस्ताक्षर नही है। ये लोग मौके पर नही पकड़े गये इसलिए इनके हस्ताक्षर नही करवाये गये थे। अभियुक्त राजू व रामस्वरूप के कब्जे से कोई माल मुकदमा बरामद नही हुआ था। गवाह ने फर्द देखकर कहा कि अभियुक्त राजू व रामस्वरूप का हुलिया नही लिखा गया है। फर्द पर अभियुक्तगण का रंग–रूप व लंबाई नही लिखी गयी है। अभियुक्त राजू व रामस्वरूप को मौके पर पिपिया छोड़कर भागते हुए देखा गया था। भागते हुए उसने उसकी हुलिया देखा था लेकिन फर्द पर हुलिया दर्ज नही किया था। इसकी कोई वजह नही बता सकता। उसने अभियुक्त को भागते हुए आगे व पीछे दोनो तरफ से देखा था। आगे व पीछे कौन सा अभियुक्त था, उसे याद नही है। यह बात उसने विवेचक को बतायी थी परंतु केस डायरी उपलब्ध नही है इसलिए वह नही बता सकता कि यह बात विवेचक ने केस डायरी में लिखी थी या नहीं। गवाह ने नक्शा नजरी देखकर कहा कि आई.ओ. ने अभियुक्त राजू व रामस्वरूप को भागते हुए दिशा बतायी थी यदि उन्होने नक्शा नजरी पर नही दिखाया है, वह इसकी कोई वजह नही बता सकता है। उसने राजू व रामस्वरूप को भागते हुए पचास कदम की दूरी से देखा था। जब उसने देखा था राजू व रामस्वरूप दक्षिण दिशा में भाग रहे थे और इनका नाम पहचानने की वजह से फर्द पर लिखा था। उसने पब्लिक के आदमी को बुलाया था, पर कोई पब्लिक का आदमी नही आया था। उसने पब्लिक के आदमी से उसका नाम व पता नही पूछा था। उसने यह बात

फर्द पर नही लिखी है। उसने जो सैम्पल लिया था, वह बोतल में लिया था। यह पुलिस रेगुलेशन में नहीं लिखा है, सैम्पल किस चीज में लिया जायेगा। वह कह रहा है कि बोतल एक लीटर की थी, सैम्पल एक लीटर निकाला गया था। वह बोतल बनाने का एक्सपर्ट नही है। बोतल अलग–अलग मात्राओं की होती है। उसने याद नही है कि बोतल किस कम्पनी की है। जो उन्होने सैम्पल निकाला उस पर सील व मोहर लगाया था लेकिन उस समय मौके पर अपराध संख्या नही लिखा था। यह कहना गलत है कि गांव बोधी खेड़ा के प्रधान से अभियुक्त राजू व रामस्वरूप की चुनावी रंजिश की वजह से प्रधान से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण उनके कहने पर अभियुक्त का नाम फर्द में दर्ज किया था। यह बात सही है कि वह तौली गांव का सर्किल प्रभारी था। यह कहना सही है कि मौके से अभियुक्त रामस्वरूप व राजू गिरफ्तार नही हुए। यह भी कहना गलत है कि राजू व रामस्वरूप को फर्जी मुकदमा लिखवाकर फंसा दिया।

22– इस प्रकरण में दिनांक 25.12.2009 को **अभियोजन साक्षी स०–1 अरविंद कुमार सरोज** द्वारा **सहअभियुक्त किशोर** को यूरिया मिश्रित कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके से दो अभियुक्तों को पिपिया छोड़कर भाग जाना बताया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त किशोर के बयान के आधार पर मौके से भागे गये अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप का नाम प्रकाश में लाया गया और गिरफ्तारशुदा अभियुक्त किशोर के बयान के आधार पर ही अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया।

23– अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप को न तो मौके से गिरफ्तार किया गया है और न ही उनके कब्जे से किसी प्रकार की कोई यूरिया मिश्रित कच्ची शराब बरामद किया गया है। **अभियोजन साक्षी सं०–1** के अनुसार पुलिसकर्मियों को देखकर ये दोनो अभियुक्तगण पिपिया छोडकर मौके से फरार हो गये। यह आश्चर्य की बात है कि मौके पर पांच पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भी दो अभियुक्तगण भागने में सफल हुए। **अभियोजन साक्षी सं०–1** का ऐसा कोई बयान नहीं है कि जब ये अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप पिपिया छोड़कर भागने लगे तो पुलिसकर्मियों द्वारा उनका कोई पीछा किया गया हो। मौके से इतनी आसानी से दो अभियुक्तगण को भागने का अवसर दिया जाना और अभियुक्तगण द्वारा भाग जाना कतई विश्वास करने योग्य नहीं है और उनका इस प्रकार से भाग जाना अभियोजन कथानक के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

24– एक अभियुक्त किशोर को मौके से गिरफ्तार किया जाना और उसके कब्जे से यूरिया मिश्रित शराब बरामद किया जाना बताया गया है। इसी अभियुक्त के बयान के आधार पर दोनो अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप का नाम प्रकाश में लाया गया है। पुलिस अभिरक्षा के दौरान गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का दिया गया बयान का कोई मोल नही रह जाता है। पत्रावली पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त किशोर के बयान के अतिरिक्त एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह परिलक्षित होता हो कि घटना वाले दिन अभियुक्त किशोर के साथ अभियुक्तगण रामस्वरूप एवं राजू भी यूरिया मिश्रित शराब को लेकर बेचने के लिए निकले हों। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के गांव के ऐसे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जो न्यायालय के समक्ष आकर यह बता सकता हो, कि वास्तव में अभियुक्त किशोर के

साथ अभियुक्त राजू एवं राम स्वरूप भी यूरिया मिश्रित शराब को बेचने का धंधा करते हों और घटना वाले दिन उन्हें भी अभियुक्त किशोर के साथ पिपिया में यूरिया मिश्रित शराब लेकर जाते हुए देखा गया हो। वस्तुतः इस प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त किशोर द्वारा अन्य दो अभियुक्तों का नाम बताया गया और वास्तव में जिनके नाम बताये गये, वे घटना में शामिल थे या नहीं, इस विषय में कोई जांच किये बिना और कोई साक्ष्य प्राप्त किये बिना, पुलिस द्वारा इन दोनो के विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप का कोई आपराधिक इतिहास यूरिया मिश्रित शराब को बेचने के सम्बन्ध में रहा हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25– अभियोजन के अनुसार बरामदशुदा यूरिया मिश्रित माल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बरामदशुदा माल में यूरिया का मिश्रण पाया गया है। पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट संलग्न है। इस रिपोर्ट में यह अंकित है कि भेजे गये माल में यूरिया पाया गया है। कितना प्रतिशत यूरिया पाया गया है, इसके कोई हवाला नहीं है। किसी द्रव्य में कितना प्रतिशत यूरिया मिलाया जाना, जीवन के लिए खतरनाक होता है, इस संदर्भ में भी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष कथित बरामदशुदा माल मुकदमा अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया जा सका है और इस संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि माल मुकदमा पिपिया में से बहकर नष्ट हो चुका है। मालखाने में माल सुरक्षित रखना, पुलिस का दायित्व है। इस प्रकार से माल का नष्ट हो जाना और माल का न्यायालय के समक्ष साबित न होना अभियोजन कथानक के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

26– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वस्तुतः **अभियोजन साक्षी सं०–1** द्वारा कोई सार्थक प्रयास ही किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों के समक्ष कथित बरामदगी दर्शायी गयी है, उन्हें भी अभियोजन परीक्षित कराने में असफल रहा है।

27– उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्रियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप अपने ऊपर लगाये गये समस्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1– सत्र वाद सं०–57/2012, मु०अ०सं०–904/2009, सरकार बनाम रामस्वरूप में अभियुक्त रामस्वरूप को अपने ऊपर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम एवं धारा–272 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है।

2– सत्र वाद सं०–225/2012, मु०अ०सं०–905/2009, सरकार बनाम राजू में अभियुक्त राजू को अपने ऊपर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– –60(1) आबकारी अधिनियम एवं धारा–272 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है।

3– अभियुक्तगण राजू एवं रामस्वरूप अपने–अपने मुकदमों में जमानत पर हैं। उनकी जमानते निरस्त की जाती हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

4– अभियुक्तगण धारा–437 ए का अनुपालन सुनिश्चित करें।

5– निर्णय की एक प्रति सत्र वाद सं०–225/2012 में रखी जाये।

दिनांक–31.03.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–31.03.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.04.01 10:18:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli